न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पांढुर्णा जिला–छिंदवाड़ा(म.प्र.)
(समक्ष :–जे.बी.एस.राजपूत)

दां.प्र.क. आरसीटी/01/2019
फा. नं.–आरसीटी/07/2019
संस्थित दिनांक 04–01–2019
सीएनआनं.–एमपी28090000072019

म.प्र. राज्य
द्वारा–आरक्षी केन्द्र, पांढुरना,
जिला–छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश)

.....**अभियोगी**

//विरूद्ध//

लोकेश आयु करीब 25 साल,
पिता राजकुमार काटोले,

निवासी ग्राम सिवनी,
तहसील व थाना पांढुर्णा,
जिला–छिंदवाड़ा(मध्यप्रदेश)

.....**आरोपी**

पुलिस थाना पांढुर्णा, तहसील पांढुर्णा जिला छिंदवाड़ा के अपराध क्रं0–560/18 अंतर्गत धारा–294, 323, 506 भा0दं0सं0 1860 से उद्भुत प्रकरण।

// निर्णय //
(आज दिनांक 14–11–2019 को घोषित)

1– आरोपी के विरूद्ध धारा 294, 323 एवं 506(भाग–2) भा0दं0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 01–11–17 को समय करीब 12:00 बजे या उसके लगभग स्थान ग्राम सिवनी स्थित गोठान मोहल्ला, थाना पांढुर्णा जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत लोकस्थान अथवा उसके समीप प्रार्थी अश्विन को मॉ–बहन की अश्लील गालियॉ उच्चारित कर उसे व अन्य सुननवालों को क्षोभ कारित किया, उक्त दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थी अश्विन को लकड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की तथा प्रार्थी अश्विन को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2– अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी अश्विन ने थाना पांढुर्णा में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवाई है वह ग्राम सिवनी में रहता है। दिनांक 01.11.17 को समय 01:30 बजे करीब वह गोठान मोहल्ला सिवनी में खड़ा था तभी लोकेश उसकी फोर व्हीलर गाड़ी से आया और बोला कि मवेशी ले जाने वाले की तरफ से क्यों बोलता है, कहकर मादरचोद, बहनचोद की गाली देकर लकड़ी से दाहिने तरफ सिर में मारा जिससे उसे चोट आई और उसे जान से खत्म की धमकी दिया। उक्ताशय की रिपोर्ट के आधार पर थाना पांढुर्णा द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क0–560/17 पर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3– आरोपी को उसके विरूद्ध विरचित आरोप पढ़कर, सुनाए व समझाए जाने पर उसने अभिवाक में अपराध किये जाने से इंकार किया है। प्रकरण में

विचारण के दौरान प्रार्थी अश्विन द्वारा आरोपी से समझौता किए जाने के फलस्वरूप आरोपी को **धारा–323 एवं 506(भाग–2) भा.दं.सं.** के आरोप से **दोषमुक्त** किया गया है। बचाव में उसकी ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। यह निर्णय मात्र धारा–294 भा0दं0वि0 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

4– राजीनामा पश्चात् प्रकरण के निराकरण के लिये निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न हैं कि :–

"क्या आरोपी ने दिनांक 01–11–17 को समय करीब 12:00 बजे या उसके लगभग स्थान ग्राम सिवनी स्थित गोठान मोहल्ला, थाना पांढुर्णा जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत लोकस्थान अथवा उसके समीप प्रार्थी अश्विन को मॉ–बहन की अश्लील गालियॉ उच्चारित कर उसे व अन्य सुननवालों को क्षोभ कारित किया ?"

//सकारण विवेचना//

5– अभियोजन की ओर से फरियादी/आहत अश्विन अ0सा0–1 ने आरोपी की पहचान सुनिश्चित करते हुए कथन किया है कि घटना करीब दो वर्ष पूर्व की ग्राम सिवनी की है जब वह गोठान पर खड़ा था तभी आरोपी कार से आया और उसके साथ मवेशी पकड़ने वालों का पक्ष लेने की बात पर मौखिक वाद–विवाद कर रहा था। उसने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना पांढुर्णा में दर्ज करवाया था जो **प्र0पी0–1** हैं।

6– अभियोजन के द्वारा इस साक्षी को धारा–154 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत सुझाव दिए जाने पर साक्षी ने स्पष्ट रूप से इंकार किया है कि आरोपी ने उसे मॉ–बहन की गंदी–गंदी दिया था जो सुनने में उसे बुरी

लगी थी। साक्षी ने पुलिस को दिए पूर्ववर्ती कथनों को भी देने से इंकार किया है। साक्षी राजू अ0सा0–1 ने अभियोजन कहानी का लैसमात्र भी समर्थन नहीं किया है।

7– उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन की ओर से प्रकरण में किसी अन्य साक्षी की साक्ष्य का परीक्षण नहीं कराया गया है। प्रार्थी/आहत अश्विन अ0सा0–1 ने आरोपी द्वारा उसके साथ गाली–गलौच किए जाने के संबंध में लैसमात्र भी कथन नहीं किए हैं। अतः साक्ष्य की उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियुक्त द्वारा प्रार्थी को लोकस्थान के समीप अश्लील गालियॉ उच्चारित कर क्षोभ कारित किए जाने के संबंध में अपराध प्रमाणित नहीं पाया गया।

8– किसी घटना को साबित करने के लिए सर्वोत्तम साक्ष्य स्वयं आहत की साक्ष्य होती है। इस प्रकरण में फरियादी/आहत अश्विन अ0सा0–1 की साक्ष्य को अक्षरशः यथावत स्वीकार कर लिया जाए तब भी उससे यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा लोकस्थान या उसके समीप किसी प्रकार के अश्लील शब्दों का उच्चारण किया गया। ऐसी स्थिति में अभियुक्त की उक्त अपराध में दोषिता अवलंबित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

9– इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य का समग्र विश्लेषण और उनके समेकित प्रभाव से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में **असफल** रहा है कि आरोपी ने दिनांक 01–11–17 को समय करीब 12:00 बजे या उसके लगभग स्थान ग्राम सिवनी स्थित गोठान मोहल्ला, थाना पांढुर्णा जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत लोकस्थान अथवा उसके समीप प्रार्थी अश्विन को मॉ–बहन की अश्लील गालियॉ उच्चारित कर उसे व अन्य

सुननवालों को क्षोभ कारित किया।

10– परिणामतः आरोपी को **धारा–294 भा.दं.वि.** के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

11– अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी बंधपत्र व प्रतिभूति धारा–437(अ) दं0प्र0सं0 के तहत् छह माह के लिए विस्तारित किए जाते हैं। छह माह पश्चात् बंधपत्र व प्रतिभूमि भारमुक्त समझे जाएँ।

12– अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि के लिए धारा 428 दं0प्र0सं0 के अधीन पृथक से निरोध प्रमाण पत्र बनाया जावे।

13– प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही/–
(जे.बी.एस.राजपूत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पांढुर्णा

मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही/–
(जे.बी.एस.राजपूत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पांढुर्णा